



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2312086

क्रमांक: एफ37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2020/608

दिनांक:- 18/11/2020

—:कार्यवाही विवरण:—

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 03/2020 वीं बैठक दिनांक 11.11.2020 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 03/2020 वीं बैठक दिनांक 11.11.2020 के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

ऑनलाईन प्रकरण

1.	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 274/1, 274/2, 274/3, 276/1, 276/2, 277, 278, 286/4, 286/5, 647/277 के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या 377 क्षेत्रफल 13.92 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। आवेदक:- मोहम्मद रफीक Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/2389 भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 3/2020 वीं बैठक दिनांक 11.11.2020	समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया— 1. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 2. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें। 3. प्रकरण में लीज एवम् विधिक राय की सुनिश्चितता की जावें।
2.	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 274/1, 274/2, 274/3, 276/1, 276/2, 277, 278, 286/4, 286/5, 647/277 के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या 378 क्षेत्रफल 13.92 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। आवेदक:- मोहम्मद रफीक Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/2390 भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 3/2020 वीं बैठक दिनांक 11.11.2020	समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया— 1. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 2. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें। 3. प्रकरण में लीज एवम् विधिक राय की सुनिश्चितता की जावें।

WL

3.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 273 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या 41 क्षेत्रफल 696.77 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्रीमती गुलाब पोटलिया पत्नी श्री अनुराग</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/2515</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 3/2020 वीं बैठक दिनांक 11.11.2020</p>	<p>समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 2. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें। 3. प्रकरण में लीज की सुनिश्चितता की जावें।
4.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा सं. 7/4 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या 45 क्षेत्रफल 1170.54 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्रीमती सोनू जैन पत्नी श्री सुशिल जैन</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/2266</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 3/2020 वीं बैठक दिनांक 11.11.2020</p>	<p>समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित भवन की दूरी एयरपोर्ट की सीमा से 2 किलो मीटर के भीतर है अतः प्रस्तावित भवन की उंचाई के सम्बंध में भवन विनियम के प्रावधानानुसार नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 3. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
5.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 274/1, 274/2, 274/3, 276/1, 276/2, 277, 278, 286/4, 286/5, 647/277 के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या 486 क्षेत्रफल 18.57 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री रितेश मेहता पुत्र श्री सुरेश मेहता</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/3711</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की</p>	<p>समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 2. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें। 3. प्रकरण में लीज एवम् विधिक राय की सुनिश्चितता की जावें। 4. प्रस्तुत मानचित्र में सिद्धियों का नाप सही नहीं है अतः संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावें।

W


		3/2020 वीं बैठक दिनांक 11.11.2020	
6.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 274/1, 274/2, 274/3, 276/1, 276/2, 277, 278, 286/4, 286/5, 647/277 के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ संयुक्तकृत भूखण्ड संख्या 351 व 352 क्षेत्रफल 27.86 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री जगदीश सोलंकी पुत्र श्री भीखाराम सोलंकी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/2333</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 3/2020 वीं बैठक दिनांक 11.11.2020</p>	<p>समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 2. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें। 3. प्रकरण में लीज एवम् विधिक राय की सुनिश्चितता की जावें। 4. भवन में प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भूजल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें। 5. प्रस्तुत मानचित्र में सिद्धियों का नाप सही नहीं है अतः संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावें।
7.	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा सं. 677 के संस्थागत प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 15054.20 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- ऑयल इंडिया लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री मोबिया गोम्बा</p> <p>Online Application ID. JOD/2020-21/BPAS/4124</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 3/2020 वीं बैठक दिनांक 11.11.2020</p>	<p>समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नगत भूखण्ड के प्राधिकरण द्वारा जारी पट्टे में प्रयोजन संस्थानिक के स्थान पर आवटन पत्र दिनांक 27.07.2018 में अंकित अनुसार परियोजन आवासीय व्यवस्था हेतु संशोधित करने हेतु उपायुक्त जोन द्वारा कार्यवाही की जावे। 2. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में दुपहिया वाहन पार्किंग व विशेष योग्य जनो हेतु भवन विनियमो अनुसार प्रावधान करते हुए संशोधित मानचित्र लिए जावे। 3. प्रस्तावित भवन की दूरी एयरपोर्ट की सीमा से 2 किलो मीटर के भीतर है अतः प्रस्तावित भवन की उंचाई के सम्बंध में भवन विनियम के प्रावधानानुसार नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें। 4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के क्रम में नियमानुसार फायर सेस जमा करवाने के उपरान्त ही निर्माण स्वीकृति जारी की जावें। साथ ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व स्थायी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने बाबत शपथ पत्र प्राप्त किया जावें। 5. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें।

			<p>6. ऑनलाईन पोर्टल पर भवन मानचित्र की पी.डी.एफ सही नहीं बन रही है अतः ऑफलाईन मानचित्र (हार्ड कॉपी) भी आवेदक से प्राप्त कर जारी किये जावे।</p> <p>उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चिता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
8.	पश्चिम	<p>राजस्व ग्राम चौखा के भूखण्ड संख्या 25 के आवासीय प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 501.66 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री रमेश चन्द साबू, मधु साबू, राघव साबू जरिये आम मुख्याार श्री नन्दकिशोर माहेश</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/3692</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 3/2020 वीं बैठक दिनांक 11.11.2020</p>	<p>समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भूखण्डधारियों द्वारा जरिये अपंजीकृत मुख्याार आम से आवेदन किया है परन्तु निर्माण स्वीकृती भूखण्डधारियों के नाम से जारी कि जानी है। 2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अन्डरटेकिंग व शपथपत्र प्राप्त किया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावे। 4. प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है नही न्यायलय में कोई वाद लम्बित है, बाबत शपथ पत्र लिया जाना है। 5. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावे।
9.	पश्चिम	<p>राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के भूखण्ड सं. सी-09 के आवासीय प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 557.4 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्रीमती महक अयानी पत्नी श्री ललित आयानी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/4219</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 3/2020 वीं बैठक दिनांक 11.11.2020</p>	<p>समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण को निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नगत भूखण्ड पर अधिकतम 3 आवासीय इकाई (भूतल एवम् दो तल) अनुज्ञय किये जाते है इस बाबत आवेदक का सहमति पत्र एवम् तदानुसार संशोधित मानचित्र लिया जाकर जारी किया जावे। 2. बिन्दु संख्या 1 की पूर्ति ना करने पर पुनः बैठक में रखा जावे। 3. भवन में प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भूजल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आवेदक से क्षतिपूर्ति बंध पत्रक लिया जावे। 4. बी.ए.आर 2.0 से अधिक होने की स्थिति में बेटरमेंट लेवी लेय होगी। 5. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावे। 6. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अन्डरटेकिंग व शपथपत्र प्राप्त किया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।

W

			7. प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है नाही न्यायलय में कोई वाद लम्बित है, बाबत शपथ पत्र लिया जाना है। 8. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
--	--	--	--

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(राजेश वर्मा)


निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: एफ37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2020/609-612

दिनांक:- 18/11/2020

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।


निदेशक (आयोजना) एवं सदस्य
सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति
(बीपी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर